MITP/D-NOC '250

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2013

INCOME-TAX

S.O. ___ (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 195 and section 192, section 194B, section 194BB, section 194E, section 194LB, section 194LC, section 194LD, section 196B, section 196C, section 196D read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, issued by the Central Board of Direct Taxes vide number S.O.2363(E) dated the 5th August, 2013 published in the Gazette of India, dated the 5th August, 2013, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (14th Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 2013.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the said rules), for rule 37BB, the following rule shall be substituted, namely:-

"Furnishing of information by the person responsible for making any payment including any interest or salary or any other sum chargeable to tax, to a non-resident, not being a company, or to a foreign company

37BB. (1) Any person responsible for paying to a non-resident, not being a company, or to a foreign company, any interest or salary or any other sum chargeable to tax under the provisions of the Act, shall furnish the following, namely:-

(i) the information in Part A of Form No.15CA, if the amount of payment does not exceed fifty thousand rupees and the aggregate of such payments made during the financial year does not exceed two lakh fifty thousand rupees;

(ii) the information in Part B of Form No.15CA for payments other than the payments referred in clause (i) after obtaining—

(a) a certificate in Form No. 15CB from an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288; or

(b) a certificate from the Assessing Officer under section 197; or

(c) an order from the Assessing Officer under sub-section (2) or sub-section (3) of section 195.

(2) The information in Form No. 15CA shall be furnished by the person electronically to the website designated by the Income-tax Department and thereafter signed printout of the said form shall be submitted to the authorised dealer, prior to remitting the payment.

(3) An income-tax authority may require the authorised dealer to furnish the signed printout referred to in sub-rule (2) for the purposes of any proceedings under the Act.

(4) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture, transmission of data and shall also be responsible for the day-to-day administration in relation to furnishing the information in the manner specified.

Explanation 1.— For the purposes of this rule, 'authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).

Explanation 2.— For the removal of doubts, it is hereby clarified that for payments of the nature specified in column (3) of the specified list below, no information is required to be furnished under sub-rule (1).

SPECIFIED LIST

Sl. No. (1)	Purpose code as per RBI (2)	Nature of payment (3)
1	S0001	Indian investment abroad -in equity capital (shares)
2	S0002	Indian investment abroad -in debt securities
3	S0003	Indian investment abroad -in branches and wholly owned subsidiaries
4	S0004	Indian investment abroad -in subsidiaries and associates
5	S0005	Indian investment abroad -in real estate
6	S0011	Loans extended to Non-Residents
7	S0202	Payment for operating expenses of Indian shipping companies operating abroad.
8	S0208	Operating expenses of Indian Airlines companies operating abroad
9	S0212	Booking of passages abroad – Airlines companies
10	S0301	Remittance towards business travel.
11	S0302	Travel under basic travel quota (BTQ)
12	S0303	Travel for pilgrimage
13	S0304	Travel for medical treatment
14	S0305	Travel for education (including fees, hostel expenses etc.)

15	S0401	Postal services
16	S0501	Construction of projects abroad by Indian companies including import of goods at project site
17	S0602	Freight insurance – relating to import and export of goods
18	S1011	Payments for maintenance of offices abroad
19	S1201	Maintenance of Indian embassies abroad
20	S1202	Remittances by foreign embassies in India
21	S1301	Remittance by non-residents towards family maintenance and savings
22	S1302	Remittance towards personal gifts and donations
23	S1303	Remittance towards donations to religious and charitable institutions abroad
24	S1304	Remittance towards grants and donations to other governments and charitable institutions established by the governments.
25	S1305	Contributions or donations by the Government to international institutions
26	S1306	Remittance towards payment or refund of taxes.
27	S1501	Refunds or rebates or reduction in invoice value on account of exports
28	S1503	Payments by residents for international bidding".

3. In the said rules, in Appendix-II, for Form No.15CA and Form No. 15CB, the following Forms shall be substituted, namely:-

Income-Tax Department	"FORM NO. 15CA (*See* rule 37BB) **Information to be furnished for payments, chargeable to tax, to a non-resident not being a company, or to a foreign company**	Ack. No.

Part A

(To be filled up if the remittance is chargeable to tax and does not exceed fifty thousand rupees and the aggregate of such remittances made during the financial year does not exceed two lakh fifty thousand rupees)

REMITTER	Name of remitter	
	PAN of the remitter (if available)	
	TAN of the remitter (if available)	
	Complete address, email and phone number of the remitter	
	Status of remitter[1]	☐
REMITTEE	Name of recipient of remittance	
	PAN of the recipient of remittance, if available[2]	
	Complete address, email[3] and phone number[4] of the recipient of remittance	
	Country to which remittance is made	
REMITTANCE	Amount payable before TDS (In Indian Currency)	
	Aggregate amount of remittance made during the financial year including this proposed remittance	
	Name of bank	
	Name of the branch of the bank	
	Proposed date of remittance	
	Nature of remittance	
	Tax deducted— (a) Amount of tax deducted (b) Date of deduction	

VERIFICATION

I/We*, ______________________ (full name in block letters), son/daughter of ________________in the capacity of_______(designation) solemnly declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief and no relevant information has been concealed. I/We* further undertake to submit the requisite documents for enabling the income-tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient of the above remittance as well as documents required for determining my liability under the Income-tax Act as a person responsible for deduction of tax at source.

Place: Signature:

Date: Designation:

* Delete whichever is not applicable.

1. Write 1 if company, write 2 if firm, write 3 if individual and write 4 if others.
2. If the remittance is chargeable to tax , non-furnishing of PAN shall attract the provisions of section 206AA
3. If available
4. If available

Part B

(To be filled up if the remittance is chargeable to tax and exceeds fifty thousand rupees and the aggregate of such remittances made during the financial year exceeds two lakh fifty thousand rupees.)

Section A	GENERAL INFORMATION				
REMITTER	Name of the remitter				
	PAN of remitter	Area Code	AO Type	Range Code	AO No
	Principal Place of Business	TAN of remitter[i]			
	Complete address, email and phone number of the remitter				
	Status[ii] ☐	In case of company - If domestic, write '1' and if other than domestic, write '2' ☐			
REMITTEE	Name of recipient of remittance		PAN of recipient of remittance[iii],		
	Status[iv] ☐				
	Address		Country to which remittance is made:		
	Principal place of business	Email address	(ISD code)-Phone Number ( )		

ACCOUNTANT	(a)	Name of the Accountant[v] signing the certificate	
	(b)	Name of the proprietorship/firm of the accountant	
	(c)	Address	
	(d)	Registration no. of the accountant	
	(e)	Date of certificate (DD/MM/YYYY)	Certificate No.[vi]
A.O. ORDER	(a)	Whether any order/ certificate u/s 195(2)/ 195(3)/ 197 of Income-tax Act has been obtained from the Assessing Officer.	(Tick) ☐ Yes ☐ No
	(b)	Section under which order/certificate has been obtained	
	(c)	Name and designation of the Assessing Officer who issued the order/certificate	
	(d)	Date of order/certificate	
	(e)	Order/ certificate number	

Section B		PARTICULARS OF REMITTANCE AND TDS (as per certificate of the accountant)		
REMITTANCE	1.	Country to which remittance is made	Country:	Currency:
	2.	Amount payable	In foreign currency:	In Indian Rs.
	3.	Name of the Bank	Branch of the Bank	
	4.	BSR Code of the bank branch (7 digit)		
	5.	Proposed date of remittance	(DD/MM/YYYY)	
	6	Nature of remittance as per agreement/ document		
	7.	In case the remittance is net of taxes, whether tax payable has been grossed up?	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
I.T.ACT	8.	Taxability under the provisions of the Income-tax Act (without considering DTAA)		
		(a) the relevant section of the Act under which the remittance is covered		
		(b) the amount of income chargeable to tax		
		(c) the tax liability		
		(d)basis of determining taxable income and tax liability		

DTAA	9.	If any relief is claimed under DTAA- (i) whether tax residency certificate is obtained from the recipient of remittance	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
		(ii) please specify relevant DTAA		
		(iii) please specify relevant article of DTAA	Nature of payment as per DTAA	
		(iv) taxable income as per DTAA	In Indian Rs.	
		(v) tax liability as per DTAA	In Indian Rs.	
		A. If the remittance is for royalties, fee for technical services, interest, dividend, etc,(not connected with permanent establishment) please indicate:-	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
		(a) Article of DTAA		
		(b) Rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable DTAA	As per DTAA (%)	
		B. In case the remittance is on account of business income, please indicate:-	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
		(a) The amount of income liable to tax in India		
		(b) The basis of arriving at the rate of deduction of tax.		
		C. In case the remittance is on account of capital gains, please indicate:-	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
		(a) amount of long term capital gains		
		(b) amount of short-term capital gains		
		(c) basis of arriving at taxable income		
		D. In case of other remittance not covered by sub-items A,B and C	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
		(a) Please specify nature of remittance		
		(b) Whether taxable in India as per DTAA		
		(c) If yes, rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable DTAA		
		(d) if not, please furnish brief reasons thereof specifying relevant article of DTAA		
TDS	10.	Amount of tax deducted at source	In foreign currency In Indian Rs.	
	11.	Rate of TDS	As per Income-tax Act (%) or As per DTAA (%)	
	12.	Actual amount of remittance after TDS	In foreign currency	
	13.	Date of deduction of tax at source, if any	(DD/MM/YYYY)	

VERIFICATION

1. I/We*, ________________________ (full name in block letters), son/daughter of ________________in the capacity of________________(designation) solemnly declare that the information given above is true to the best of my/our* knowledge and belief and no relevant information has been concealed.

2. I/We* certify that a certificate has been obtained from an accountant, particulars of which are given in this Form, certifying the amount, nature and correctness of deduction of tax at source./ I/We* certify that certificate/order under section 195(2)/195(3)/197 of the Income-tax Act, 1961, particulars of which are given in this Form*.

3. In case where it is found that the tax actually deductible on the amount of remittance has not been deducted or after deduction has not been paid or not paid in full, I/We* undertake to pay the amount of tax not deducted or not paid, as the case may be along with interest due. I/We* shall also be subject to the provisions of penalty for the said default as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

4. I/We* further undertake to submit the requisite documents for enabling the Income-tax Authorities to determine the nature and amount of income of the recipient of the above remittance as well as documents required for determining my/our liability under the Income-tax Act, 1961 as a person responsible for deduction of tax at source.

5. I/We* further declare that I/we* am/are* furnishing this information in my/our* capacity as and I/we* am/are* also competent to sign the return of income as per provisions of section 140 of the Income-tax Act, 1961 and verify it.

Place: Signature:

Date: Designation:

* Delete whichever is not applicable.

For Office Use only	For Office Use Only
	Receipt No.
	Date
	Seal and Signature of receiving official

[i] In case TAN is applied for, please furnish acknowledgement number of the application.
[ii] Write 1 if company, Write 2 if firm, Write 3 if individual and Write 4 if others.
[iii] In case of non-availability of PAN, provisions of section 206AA shall be applicable.
[iv] Write 1 if company, Write 2 if firm, Write 3 if individual and Write 4 if others.
[v] Accountant (other than an employee) shall have the same meaning as defined in the Explanation to Section 288 of Income-tax Act, 1961.
[vi] Please fill the serial number as mentioned in the certificate of the accountant.

Form No. 15CB

(*See* rule 37BB)

Certificate of an accountant[1]

I/We* have examined the agreement (wherever applicable) between Mr./Ms./M/s*................................... and Mr./Ms./M/s*..
(Remitters) (Beneficiary)
requiring the above remittance as well as the relevant documents and books of account required for ascertaining the nature of remittance and for determining the rate of deduction of tax at source as per provisions of Charter- XVII-B.

We hereby certify the following :-

A	Name and address of the beneficiary of the remittance			
B	1.	Country to which remittance is made	Country:	Currency:
	2.	Amount payable	In foreign currency:	In Indian Rs.
	3.	Name of the bank	Branch of the bank	
	4.	BSR Code of the bank branch (7 digit)		
	5.	Proposed date of remittance	(DD/MM/YYYY)	
	6	Nature of remittance as per agreement/ document		
	7.	In case the remittance is net of taxes, whether tax payable has been grossed up?	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
	8.	Taxability under the provisions of the Income-tax Act (without considering DTAA)		
		(a) the relevant section of the Act under which the remittance is covered		
		(b) the amount of income chargeable to tax		
		(c) the tax liability		
		(d)basis of determining taxable income and tax liability		
	9.	If any relief is claimed under DTAA- (i) whether tax residency certificate is obtained from the recipient of remittance	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
		(ii) please specify relevant DTAA		
		(iii) please specify relevant article of DTAA	Nature of payment as per DTAA	
		(iv) taxable income as per DTAA	In Indian Rs.	
		(v) tax liability as per DTAA	In Indian Rs.	
		A.If the remittance is for royalties, fee for technical services, interest, dividend, etc,(not connected with permanent establishment) please indicate:-	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
		(a) Article of DTAA		
		(b) Rate of TDS required to be deducted	As per DTAA (%)	

	in terms of such article of the applicable DTAA		
	B. In case the remittance is on account of business income, please indicate:-	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
	(a) The amount of income liable to tax in India		
	(b) The basis of arriving at the rate of deduction of tax.		
	C. In case the remittance is on account of capital gains, please indicate:-	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
	(a) amount of long term capital gains		
	(b) amount of short-term capital gains		
	(c) basis of arriving at taxable income		
	D. In case of other remittance not covered by sub-items A,B and C	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
	(a) Please specify nature of remittance		
	(b) Whether taxable in India as per DTAA		
	(c) If yes, rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable DTAA		
	(d) if not , the please furnish brief reasons thereof. specifying relevant article of DTAA		
10.	Amount of TDS	In foreign currency	
		In Indian Rs.	
11	Rate of TDS	As per Income-tax Act (%) or As per DTAA (%)	
12	Actual amount of remittance after TDS	In foreign currency	
13.	Date of deduction of tax at source, if any	(DD/MM/YYYY)	

Certificate No.[2] ☐☐☐☐☐

Signature :
Name:

Name of the proprietorship/ firm:

Address:

Registration No.:

[1] To be signed and verified by an accountant (other than an employee) as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act,1961.
[2] Certificate number is an internal number to be given by the Accountant.
* Delete whichever is not applicable. ".

[Notification No. 67/2013, F.No.149/119/2012-SO(TPL)]

(J.Saravanan)
Under Secretary to the Government of India.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (13th Amendment) Rules, 2013, vide notification number S.O.2364 (E), dated the 05.08.2013.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2। सितम्बर 2013

आय-कर

का.आ.____(अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 195 की उपधारा (6) और धारा 192, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194ङ, धारा 194ठख, धारा 194ठग, धारा 196ख, धारा 196ग, धारा 196घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचना सं0 2363(अ), तारीख 5 अगस्त, 2013 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (15वां संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये 1 अक्तूबर, 2013 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 37खख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को कोई संदाय जिसके अंतर्गत कोई ब्याज या वेतन या कर को प्रभार्य कोई रकम भी है करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा जानकारी देना:-

37खख (1) किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को किसी ब्याज या वेतन अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर को प्रभार्य कोई अन्य रकम या कोई संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित जानकारी देगा, अर्थात्:-

(i) प्ररूप सं. 15गक के भाग क में जानकारी, यदि संदाय की रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए ऐसे संदायों का योग दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ;

(ii) निम्नलिखित प्राप्त करने के पश्चात् खंड (i) में निर्दिष्ट संदायों से भिन्न संदायों के लिए प्ररूप सं. 15गक के भाग ख में जानकारी—

(क) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से प्ररूप सं. 15गख में प्रमाण पत्र ; या

(ख) धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी से प्रमाण पत्र ; या

(ग) धारा 195 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निर्धारण अधिकारी से किसी आदेश को,

प्राप्त करने के पश्चात् देगा ।

(2) प्ररूप सं. 15गक में जानकारी आयकर विभाग द्वारा अभिहित वेबसाइट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और तत्पश्चात् उक्त प्ररूप का हस्ताक्षरित प्रिंटआउट संदाय प्रेषित करने से पूर्व प्राधिकृत व्यौहारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) आयकर प्राधिकारी प्राधिकृत व्यौहारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए उपनियम (2) में निर्दिष्ट हस्ताक्षरित प्रिंट आउट प्रस्तुत करे ।

(4) आयकर (प्रणाली) महानिदेशक, आंकड़ों को सुरक्षित रखने, उनके पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं प्ररूपों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और विनिर्दिष्ट रीति में जानकारी देने के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण 1- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'प्राधिकृत व्यौहारी' से जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यौहारी के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2- शंकाओं के निवारण के लिए, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट सूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के संदायों के लिए, उपनियम (1) के अधीन जानकारी देने की अपेक्षा नहीं होगी ।

विनिर्दिष्ट सूची

क्रम सं. (1)	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार प्रस्तावित कोड (2)	संदाय की प्रकृति (3)
1.	एस0001	भारतीय विदेशी विनिधान-साम्यापूंजी (अंश) में
2.	एस0002	भारतीय विदेशी विनिधान-ऋण प्रतिभूतियों में
3.	एस0003	भारतीय विदेशी विनिधान-शाखाओं और संपूर्ण रूप से स्वामित्वाधीन समनुषंगियों में
4.	एस0004	भारतीय विदेशी विनिधान-समनुषंगियों और सहयुक्तों में
5.	एस0005	भारतीय विदेशी विनिधान-भू संपदा में में
6.	एस0011	अनिवासियों को दिए गए ऋण

7.	एस0202	विदेश में कार्य कर रही भारतीय पोत कंपनियों के प्रचालित व्ययों के लिए संदाय
8.	एस0208	विदेश में कार्य कर रही भारतीय एयरलाइन कंपनियों के प्रचालन व्यय
9.	एस0212	विदेशी यात्रा की बुकिंग-एयरलाइन कंपनियां
10.	एस0301	कारबार यात्रा के मद्दे प्रेषण
11.	एस0302	आधार यात्रा कोटा के अधीन यात्रा
12.	एस0303	तीर्थ के लिए यात्रा
13.	एस0304	चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा
14.	एस0305	शिक्षा के लिए यात्रा (जिसके अंतर्गत फीस, छात्रावास, व्यय आदि भी हैं)
15.	एस0401	डाक सेवाएं
16.	एस0501	भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी परियोजनाओं सन्निर्माण जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल पर माल का निर्यात भी है
17.	एस0602	माल के आयात और निर्यात से संबंधित- भाड़ा बीमा
18.	एस1011	विदेशी कार्यालय के अनुरक्षण के लिए संदाय
19.	एस1201	विदेशी भारतीय दूतावासों का अनुरक्षण
20.	एस1202	भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा प्रेषण
21.	एस1301	कुटुंब भरण पोषण और बचत के मद्दे अनिवासी द्वारा प्रेषण
22.	एस1302	व्यक्तिगत उपहार और दान के मद्दे प्रेषण
23.	एस1303	विदेशी धार्मिक और पूर्त संस्थानों को दान के मद्दे प्रेषण
24.	एस1304	अन्य सरकारी और सरकार द्वारा स्थापित पूर्त संस्थानों को अनुदान और दान के मद्दे प्रेषण
25.	एस1305	अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सरकार द्वारा अभिदाय या दान
26.	एस1306	करों का संदाय या वापसी के मद्दे प्रेषण
27.	एस1501	निर्यात के मद्दे बीजक मूल्य में वापसी या छूट या कटौती
28.	एस1503	अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए निवासियों द्वारा संदाय" ।

3. उक्त नियमों में, उपाबंध 2 में, प्ररूप सं. 15गक और प्ररूप 15गख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

आय-कर विभाग	"रूप सं. 15गक (नियम 37खख देखिए) किसी अनिवासी जो कंपनी नहीं है या विदेशी-कंपनी को संदाय जो कि कर से प्रभार्य है, के लिए दी जाने वाली जानकारी	अभि. सं.

भाग क

(यदि प्रेषण पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए ऐसे प्रेषणों का संकलन दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है तो इसे भरा जाए)

प्रेषक	प्रेषक का नाम	
	प्रेषक का पेन (यदि है)	
	प्रेषक का टेन (यदि है)	
	प्रेषक का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या	
	प्रेषक की प्रास्थिति	
प्रेषिती	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम	
	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का पेन	
	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या	
	देश का नाम जिसमें प्रेषण होना है।	
प्रेषण	टीडीएस जो पहले संदत्त राशि, यदि कोई है (भारतीय मुद्रा में)	
	इस प्रस्तावित प्रेषण सहित वित्तीय वर्ष में प्रेषण की संकलित राशि	
	बैंक का नाम	
	बैंक की शाखा का नाम	
	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	
	प्रेषण की प्रकृति	
	कर कटौतियां— (क) कर कटौती की रकम (ख) कटौती की तारीख	

सत्यापन

मैं/हम*.. (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), जो.....................का पुत्र/पुत्री................................ (पदनाम) के रूप में यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास से सत्य है और कोई सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है। मैं/हम* आयकर अधिनियम के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों सहित उपरोक्त प्रेषण के प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

स्थान : हस्ताक्षर :

तारीख : पदनाम :

*जो लागू न हो उसे काट दें।

[1]. यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यष्टि है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें

[2]. यदि प्रेषण पर कर प्रभार है तो पेन का न होना, धारा 206 कक के उपबंधों को आकर्षित करेगा।

[3]. यदि उपलब्ध है।

[4]. यदि उपलब्ध है।

भाग ख

(यदि प्रेषण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य है, या प्रेषण नियम 37 खख में विनिर्दिष्ट सूची के अंतर्गत नहीं है तो भरा जाए।)

खंड क	साधारण जानकारी					
प्रेषक	प्रेषक का नाम					
	प्रेषक का पेन		एरिया कोड	एओ टाइप	रेंज कोड	एओ सं.
	कारबार का मूल स्थान		प्रेषक का टेन			
	प्रेषक का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या					
	प्रास्थिति ☐	कंपनी होने की दशा में -यदि घरेलू है तो "1" लिखें और यदि घरेलू के अतिरिक्त अन्य कोई है तो "2" लिखें ☐				
प्रेषिती	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम		प्रेषण के प्राप्तकर्ता का पेन			
	प्रास्थिति ☐					
	पता		जिस देश में प्रेषण किया गया है			
	कारबार का मूल स्थान	ई-मेल पता	(आईएसडी कोड)- दूरभाष संख्या ( )			

लेखाकार	(क)	प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित करने वाले लेखाकार का नाम	
	(ख)	लेखाकार के स्वत्वधारी/फर्म का नाम	
	(ग)	पता	
	(घ)	लेखाकार की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
	(ड)	प्रमाण पत्र की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	प्रमाण पत्र संख्या
ए.ओ.आदेश	(क)	क्या निर्धारण अधिकारी से आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/195(3)/197 के अधीन कोई आदेश का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं
	(ख)	जिस धारा के अधीन आदेश/प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है	
	(ग)	आदेश/प्रमाण पत्र जारी करने वाले निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम	

	(घ)	आदेश/प्रमाण पत्र की तारीख	
	(ङ)	आदेश/प्रमाण पत्र संख्या	

खंड ख		प्रेषण और स्रोत पर कर की कटौती की विशिष्टियां (लेखाकार के प्रमाण पत्र के अनुसार)		
प्रेषण	1.	जिस देश में प्रेषण किया गया है	देश :	मुद्रा :
	2.	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :	भारतीय रु. में.
	3.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा	
	4.	बैंक शाखा का बीएसआर कोड (7 अंकों में)		
	5.	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	दिन/मास/वर्ष	
	6	प्रेषण की प्रकृति करार/दस्तावेज के अनुसार		
	7.	यदि प्रेषण शुद्ध कर है तो क्या संदेय कर का योग किया गया है ?	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं	
आयकर अधिनियम	8.	आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन कराधेयता (डीटीएए पर विचार किए बिना)	☐ ☐	
		(क) अधिनियम की सुसंगत धारा जिसके अधीन प्रेषण आता हैं		
		(ख) आय की रकम जिस पर कर प्रभार्य है		
		(ग) कर दायित्व		
		(घ) कराधेय आय और कर दायित्व अवधारित करने का आधार		
प्रत्यक्ष कर परिवर्जन संबंधी करार (डीटीएए)	9.	यदि आय भारत में कर प्रभार्य है और डीटीएए के अधीन कोई राहत का दावा किया गया है (i) क्या प्रेषण के प्राप्तकर्ता से कर आवास प्रमाण पत्र लिया गया है	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं	
		(ii) कृपया डीटीएए विनिर्दिष्ट करें		
		(iii) कृपया डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद विनिर्दिष्ट करें ।	डीटीएए के अनुसार संदाय की प्रकृति	
		(iv) डीटीएए के अनुसार कराधेय आय	भारतीय रुपए में	

		(v) डीटीएए के अनुसार कर दायित्व	भारतीय रुपए.में	
		अ. यदि प्रेषण स्वामित्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज, लाभांश आदि (स्थायी स्थापन से संबंधित न हो) उपदर्शित करें :--	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं	
		(क) डीटीएए का अनुच्छेद		
		(ख) अनुच्छेद के निबंधनों में जो डीटीएए को लागू होता है की जाने वाली अपेक्षित स्रोत पर कर की कटौती की दर	डीटीएए के अनुसार (%)	
		आ. यदि प्रेषण कारबार की आय की बाबत है तो कृपया उपदर्शित करें :-	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं	
		(क) क्या ऐसी आय भारत में कर प्रभार्य नहीं है		
		(ख) यदि हां तो कर की कटौती पर निश्चित करने का आधार		
		इ. यदि प्रेषण पूंजी अभिलाभ के कारण है तो कृपया उपदर्शित करें :-	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं	
		(क) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की रकम		
		(ख) अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की रकम		
		(ग) कराधेय आय निर्धारित करने का आधार		
		ई. उन प्रेषण के मामले में जो उपमद अ,आ और इ के अंतर्गत न आते हों	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं	

		(क) प्रेषण की प्रकृति को कृपया विनिदिष्ट करें		
		(ख) डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य है		
		(ग) यदि हां, तो लागू डीटीएए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों के अनुसार कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर		
		(घ) यदि नहीं, तो कृपया डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए उसके संक्षिप्त कारण बताएं		
प्रत्यक्ष कर कटौती	10.	स्रोत पर कर कटौती की रकम	विदेशी मुद्रा में	
			भारतीय रुपए में	
	11.	प्रत्यक्ष कर कटौती की दर	आयकर अधिनियम के अनुसार (%) या डीटीएए के अनुसार (%)	
	12.	प्रत्यक्ष कर कटौती के बाद प्रेषण की वास्तविक रकम	विदेशी मुद्रा में	
	13.	स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हो	(दिन/मास/वर्ष)	

सत्यापन

1. मैं/हम*.. (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), जो.....................का पुत्र/पुत्री हूँ/है................................ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही है और कोई सुसंगत जानकारी नहीं छिपाई गई है ।

2. मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि लेखाकार से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में, रकम स्रोत पर कर की कटौती की प्रकृति और सत्यता को प्रमाणित करते हुए दी गई है । मैं/हम* आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/105(3)/197 के अधीन दिया गया प्रमाण पत्र/आदेश जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में दी गई है, को प्रमाणित करते हैं ।

3. यदि जहां यह पाया जाता है कि प्रेषण की रकम पर वास्तव में कटौती योग्य कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती करने के पश्चात् पूर्ण रूप से संदत्त नहीं की गई है तो मैं/हम* यथास्थिति, कटौती किये गए या संदत् न किए गए कर की रकम का, उस पर शोध्य ब्याज सहित संदाय करने का वचन देता हूँ/देते हूँ । मैं/हम* आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार उक्त व्यतिक्रम के लिए भी शास्ति के उपबंधों के अधीन रहूगा/रहेंगे ।

4. मैं/हम* आयकर अधिनियम के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों सहित उपरोक्त प्रेषण के प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देता हूं/देते हैं ।

5. मैं/हम* आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम*-------------------की हैसियत में यह जानकारी दे रहा हूँ/रहे हैं और मैं*/हम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी को हस्ताक्षरित करने तथा उसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ/हैं ।

स्थान : हस्ताक्षर :

तारीख : पदनाम :

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

कार्यालय उपयोग के लिए	सिर्फ कार्यालय उपयोग हेतु रसीद सं. तारीख पदधारी के हस्ताक्षर और मुहर

1. यदि यदि टेन के लिए आवेदन किया है तो आवेदन की अभिस्वीकृति सं. दीजिए ।
2. यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यष्टि है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें
3. यदि पेन (स्थायी लेखा संख्या) उपलब्ध नहीं है तो, धारा 206अअ के उपबंध लागू होंगे ।
4. यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यष्टि है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें ।
5. लेखाकार (कर्मचारी से भिन्न) का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है ।
6. कृपया लेखाकार के प्रमाण पत्र में उपदर्शित क्रम संख्या भरें ।

प्ररूप सं. 15गख

(नियम 37खख देखें)

लेखाकार का प्रमाण पत्र[1]

मैंने/हमने* श्री/श्रीमती /मैसर्स-----------------------और श्री/श्रीमती/मैसर्स*------------------- हिताधिकारी के बीच उपरोक्त प्रेषण प्रेषक की अपेक्षानुसार करार प्रेषकः (जहां लागू हो) की परीक्षा की है । प्रेषण की प्रकृति प्रेषक को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सुसंगत दस्तावेजों और लेखा बहियों के साथ-साथ चार्टर 17-ख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर का अवधारण करने के लिए परीक्षा कर ली है ।

हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं :-

अ.	प्रेषण के हिताधिकारी का नाम और पता				
आ.	1.	जिस देश में प्रेषण किया गया है	देश :	मुद्रा:	
	2.	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :		भारतीय रु. में.
	3.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा		
	4	बैंक की शाखा का बीएसआर कोर्ड (7 अंकों में)			
	5.	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	दिन/मास/वर्ष		
	6.	करार/दस्तावेज के अनुसार प्रेषण की प्रकृति			
	7.	यदि प्रेषण शुद्ध कर है तो क्या संदेय कर का योग किया गया है			
	8.	आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन कराधेयता (डीटीएए पर विचार किए बिना)	(चिन्ह) हां नहीं		
		(क) अधिनियम की सुसंगत धारा जिसके अधीन प्रेषण आते हैं			
		(ख) आय की रकम जिस पर कर प्रभार्य है			
		(ग) कर प्रभार्य			
		(घ) कराधेय आय और कर दायित्व निश्चित करने का आधार			

9.	यदि आय भारत में कर प्रभर्य है और डीटीएए के अधीन कोई राहत का दावा किया गया है (i) क्या प्रेषण के प्राप्तकर्ता से कर आवास प्रमाण पत्र लिया गया है	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं	
	(ii) कृपया डीटीएए विनिर्दिष्ट करें		
	(ii) कृपया डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद विनिर्दिष्ट करें	डीटीएए के अनुसार संदाय की प्रकृति	
	(iii) डीटीएए के अनुसार कराधेय आय	भारतीय रुपए में	
	(iv) डीटीएए के अनुसार कर दायित्व	भारतीय रुपए में	
	अ. यदि प्रेषण स्वामित्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज, लाभांश आदि (स्थायी स्थापन से संबंधित न हो) उपदर्शित करें ।	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं	
	(क) डीटीएए का अनुच्छेद		
	(ख) अनुच्छेद के अंतर्गत जो डीटीएए को लागू होता है की जाने वाली अपेक्षित स्रोत पर कर की कटौती की दर	डीटीएए के अनुसार (%)	
	आ. यदि प्रेषण कारबार की आय की बाबत है तो कृपया उपदर्शित करें :-	(चिन्ह) हां नहीं	
	(क) क्या ऐसी आय भारत में कर प्रभार्य नहीं है		
	(ख) यदि हां तो कर की कटौती पर निश्चित करने का		

	आधार		
	(ग) यदि नहीं तो कृपया डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए संक्षिप्त में उसके कारण बताएं।		
	इ. यदि प्रेषण पूंजी अभिलाभ के कारण है तो कृपया उपदर्शित करें :-	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं	
	(क) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की रकम		
	(ख) अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की रकम		
	(ग) कराधेय आय निर्धारित करने का आधार		
	ई. उन प्रेषण के मामले में जो उपमद अ, आ और इ के अंतर्गत न आते हों	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं	
	(क) प्रेषण की प्रकृति को कृपया विनिदिष्ट करें		
	(ख) डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य है		
	(ग) यदि हां, तो लागू डीटीएए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों के अनुसार कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर		
	(घ) यदि नहीं, तो कृपया डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए उसके संक्षिप्त कारण बताएं.		
10.	प्रत्यक्ष कर कटौती की रकम	विदेशी मुद्रा में	
		भारतीय रुपए में	
11.	प्रत्यक्ष कर कटौती की दर	आयकर अधिनियम के अनुसार (%) या. डीटीएए के अनुसार (%)	

12.	प्रत्यक्ष कर कटौती के बाद प्रेषण की वास्तविक रकम	विदेशी मुद्रा में	
13.	स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हो	(दिन/मास/वर्ष)	

प्रमाण पत्र सं[2]. | | | | | |

हस्ताक्षर :
नाम :

स्वत्वधारी/फर्म का नाम
पताः
रजिस्ट्रीकरण सं.

[1]. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 299 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार (कर्मचारी से भिन्न) द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा ।
[2]. प्रमाण पत्र सं. जो एक आंतरिक संदर्भ संख्या है जो लेखाकार द्वारा दिया जाना है ।
[3]. जो लागू न हो उसे काट दें" ।

[अधिसूचना सं. 67 /2013, फा. सं. 149/119/2012-एसओ(टीपीएल)]

जे. सारावनन
(जे. सारावनन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, अधिसूचना संख्यांक का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आय-कर (13वां संशोधन) नियम, 2013 अधिसूचना संख्यांक का.आ. (अ) तारीख 5|8|2013 द्वारा संशोधित किए गए ।

2364